

## जज्ञानवापी मस्जिद पर ASI की सर्वेक्षण रिपोर्ट

### प्रलिस के लयि:

जज्ञानवापी मस्जिद पर एसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट, [भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण \(ASI\)](#), [जज्ञानवापी मस्जिद](#), [कार्बन डेटिंग](#), [उपासना सथल अधनियम, 1991](#)

### मेन्स के लयि:

जज्ञानवापी मस्जिद पर ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट, प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण \(Archaeological Survey of India- ASI\)](#) ने [जज्ञानवापी मस्जिद](#) परिसर का सर्वेक्षण किया, जहाँ हदू देवताओं की मूर्तियों सहित कुल 55 पाषाण मूर्तियाँ मिलीं।

- ASI की रिपोर्ट के अनुसार, "ऐसा लगता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को संशोधित किया गया था तथा मौजूदा संरचना में इनका पुनः उपयोग किया गया था।"

### ASI रिपोर्ट की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?


- खंडित मूर्तियों की खोज:
  - सर्वेक्षण में मस्जिद परिसर के भीतर **हनुमान, गणेश और नंदी सहित हदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेष** सामने आए।
  - वभिन्न मूर्तियाँ क्षतग्रस्त अवस्था में पाई गईं, जनिमें शविलिगि, वशिषु, गणेश, कृषुण और हनुमान की मूर्तियाँ शामिल थीं।

//



■ योनपिट्ट और शवि ललि:

- सरवेकषण के दूरान एक शवललि का आधर/अधुभाग और कई योनपिट्ट पाए गए ।
- एक शवललि भी पूरपूत हुआ जसिका आधर भाग गायब था ।



#### ■ भारतीय शिलालेख:


- देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे गए 32 शिलालेख पाए गए।
- ये वास्तव में पहले से मौजूद एक हट्टि मंदिर के पत्थर पर उत्कीर्ण शिलालेख हैं जिनका मौजूदा ढाँचे के नरिमाण, मरम्मत के दौरान पुनः उपयोग किया गया है।
- संरचना में प्राचीन शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्सों को मौजूदा संरचना के नरिमाण एवं मरम्मत में पुनः उपयोग किया गया था।

#### ■ स्वास्तिक और त्रिशूल के चहिन:

- संरचना पर स्वास्तिक और त्रिशूल समेत अन्य चहिन पाए गए।
- स्वास्तिक को विश्व के सबसे प्राचीन प्रतीकों में से एक माना जाता है और इसका उपयोग सभी प्राचीन सभ्यताओं में किया गया है।
- त्रिशूल (भगवान शिव का वशिष्ट शस्त्र) का प्रतीक आमतौर पर हट्टिओं द्वारा प्रमुख प्रतीकों में से एक के रूप में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से शैव और शाक्तों द्वारा भी।

#### ■ फारसी शिलालेख वाले सकिके और बलुआ पत्थर की शिलापट्ट:

- सर्वेक्षण के दौरान सकिके, फारसी में उत्कीर्ण एक बलुआ पत्थर का स्लैब/शिलापट्ट और अन्य कलाकृतियों जैसी वस्तुएँ मिलीं।
- शिलापट्टों पर फारसी में शिलालेख पाए गए, जो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान मंदिर के वधिवंस का ववरण प्रदान करते हैं।



भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) क्या है?



- **संस्कृतमंत्रालय** के तहत ASI देश की सांस्कृतिक वरिसत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
  - यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत देश के भीतर सभी पुरातात्विक उपकरणों की देख-रेख करता है।
- यह 3,650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षण स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनघिम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनघिम को "भारतीय पुरातात्विक जनक" भी कहा जाता है।

## ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण में किस विधि का उपयोग किया गया था?

- भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का एक वसित गैर-आक्रामक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया अथवा नहीं।
- भारत में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ खुदाई की अनुमति नहीं है, ऐसे में इन निर्मित संरचनाओं के आंतरिक भाग की जाँच हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली विधि गैर-आक्रामक विधि कहलाती है।
- **विधियों के प्रकार:**
  - **सक्रिय विधि:** इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सहायता से वदियुत धाराओं को प्रवाहित कर नरिदष्टि स्थान के घनत्व, वदियुत प्रतिरोध और तरंग वेग जैसे भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है।
    - **भूकंपीय तकनीक:** उपसतही संरचनाओं का अध्ययन करने के लिये शॉक वेव्स का उपयोग।
    - **वदियुत चुंबकीय विधियाँ:** इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्राप्त वदियुत चुंबकीय प्रतिक्रियाओं की माप।
  - **नषिक्रिय तरीके:** मौजूदा भौतिक गुणों की जाँच करने में सहायक।
    - **मैग्नेटोमेट्री:** यह नीचे दबी हुई संरचनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय वसिंगतियों का पता लगाने में मदद करती है।
    - **गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण:** यह विधि उपसतही विशेषताओं के कारण उत्पन्न होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल भिन्नता को मापने में सहायता करती है।
  - **ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार (GPR):**
    - जमीन के नीचे पड़े/दबे पुरातात्विक विशेषताओं का 3D मॉडल बनाने के लिये पुरातात्विक विभाग द्वारा GPR तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
    - उपसतह से वापसी संकेतों के समय और परिमाण को रिकॉर्ड करने के लिये GPR एक सरफेस एंटीना के माध्यम से एक संक्षिप्त रडार आवेग प्रसारित करता है।
    - **रडार करिणें एक शंकु की आकार में फैलती हैं**, जसिसे बनने वाले प्रतबिंब प्रत्यक्ष तौर पर भौतिक आयामों के अनुरूप नहीं होते हैं।
  - **कार्बन डेटिंग:**
    - कार्बन-14 (C-14) के रेडियोधर्मी क्षय के आधार पर कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता करने के लिये व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है।

## क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद?

- **मंदिर का विध्वंस:**
  - यह प्रचलित मान्यता है कि **ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669** में मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर करवाया था।
    - **साकी मुस्तैद खान की मासीर-ए-आलमगरी, एक फारसी भाषा का इतिहास** (वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया) में यह भी उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में गवर्नर अबुल हसन को आदेश देकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था।
  - ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि **मस्जिद के एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी-फारसी शिलालेख** में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शाही वर्ष (1676-77 ईस्वी) में किया गया था।
    - इतिहासकार ऑड्रे ट्रुश्के (Historian Audrey Truschke) ने लिखा है कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर (विश्वेश्वर) का बड़ा हिस्सा ढहा दिया था। यह मंदिर अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मान सहि द्वारा बनवाया गया था, जिनके परपोते जय सहि ने वर्ष 1666 में शिवाजी को मुगल दरबार से भागने में मदद की थी।
- **विधिक लड़ाई:**
  - ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वर्ष 1991 से न्यायालय के अधीन है जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशज सहित तीन लोगों ने वाराणसी के सविलि न्यायाधीश के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था तथा यह दावा किया था कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया इसलिये यह भूमि उन्हें वापस दी जानी चाहिये।
  - 18 अगस्त 2021 को वाराणसी के संबद्ध न्यायालय में पाँच महिलाओं ने याचिका दायर करमाता शृंगार गौरी के मंदिर में उपासना करने की मांग की जसिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने माता शृंगार गौरी मंदिर की वर्तमान स्थिति जानने के लिये एक आयोग का गठन किया।

- वाराणसी कोर्ट ने आयोग से माता शृंगार गौरी की मूर्ति तथा ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था।
- हट्टू पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर ज्ञानवापी परिसर का वस्तुतः नक्शा न्यायालय के समक्ष पेश किया। यह नक्शामसज्जि के प्रवेश द्वार के समीप स्थिति हट्टू देवता मंदिरों के साथ-साथ वशिवेश्वर मंदिर, ज्ञानकूप (मुक्तिमंडप), परमुख नंदी प्रतमा तथा व्यास परिवार के तहखाने जैसे स्थलों की पुष्टि करता है।
- मुसलमि पक्ष ने दलील दी कि **उपासना स्थल अधिनियम, 1991** के तहत इस विवाद पर कोई नरिणय नहीं दिया जा सकता।
  - **उपासना स्थल (वशिष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 3** के तहत किसी उपासना स्थल को एक अलग धार्मिक संप्रदाय अथवा एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक पृथक वर्ग के उपासना स्थल में परिवर्तित करना नषिदिध है।
- वर्तमान में ज्ञानवापी मामला न्यायपालिका के समक्ष लंबति है।

## उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान क्या हैं?

### ■ धर्मांतरण पर रोक (धारा 3):

- यह धारा किसी भी उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के उपासना स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर्ग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।

### ■ धार्मिक प्रकृतिका रखखाव (धारा 4-1):

- यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 तक अस्तित्व में आए उपासना स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत् बनी रहेगी।

### ■ लंबति मामलों का नवारिण (धारा 4-2):

- इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबति कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

### ■ अधिनियम के अपवाद (धारा 5):

- यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा **प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम, 1958** के अंतर्गत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है।
- वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं जो पहले ही लागू हो चुके हैं या सुलझे हुए हैं और इस तरह के विवादों में सदिधांत लागू होने से पहले तय किये गए रूपांतरण शामिल हैं।
- इस अधिनियम के दायरे के अंतर्गत परिसर, **अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मसजिद** के नाम से पहचाने जाने वाले वशिषि्ट उपासना स्थल तक वस्तितारति नहीं है तथा इसमें स्थल से जुड़ी कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।

### ■ दंड (धारा 6):

- यह धारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन वर्ष की कैद और जुर्माने सहति दंड नरिदषि्ट करती है।